संख्याः 1322/X-4-19/2(52)/2019

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादूनः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2019

विषयः- **जनपद-देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.372 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को 30 वर्षों की अवधि के लिये लीज पर दिये जाने के सम्वन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1426/FP/UK/WATER/38629/2019 दिनांक 9 दिसम्बर, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तरखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति के आदेश संख्या-987/X-4-19/2(52)/2019 दिनांक 10.10.2019 द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय **जनपद-देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.372 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को 30 वर्षों** की अवधि के लिये लीज पर दिये जाने की **विधिवत स्वीकृति** निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग,संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नही करेगा।
3. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रखरखाव किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाता है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. उप खनिजों (रेत,बजरी,बोल्डर) के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
9. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
10. मा0 उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण हेतु बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
17. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या 198/7–जी–सी–89–3–89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें –01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही निष्पादित किया जायेगा।
19. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी हैन्ड बुक के Annexure-V में दिये गये मार्गदर्शी नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
20. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक सुदाय के हित प्रभावित नही होतें है।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

2. तद्नुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्याः —— (1)/ X-4-19/2(52)/2019 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद– देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
7. अधिशासी अभियंता, एफ0आई0यू0 (अनुरक्षण खण्ड), देहरादून।
8. जिला पंचायत अध्यक्ष, देहरादून।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।